राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: sfg.rcse@gmail.com

निष्पादक समिति की 13वीं बैठक

दिनांक 28.11.2014

कार्यवृत

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, 2700447 E-mail: sfg.rcse@gmail.com

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 13वीं बैठक का कार्यवृत – दिनांक 28.11.2014

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की 13वीं बैठक शिक्षा संकुल स्थित सभागार (मंथन) में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 28.11..2014 को अपरान्ह 04.00 बजे आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :–

क सं.	प्रस्ताव	निर्णय
1	**प्रस्ताव संख्या 1 – निष्पादक समिति की दिनांक 06.02.2014 को आयोजित बारहवीं बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अवलोकन एवं अनुमोदन** दिनांक 06.02.2014 को आयोजित निष्पादक समिति की बारहवीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण (**परिशिष्ट 1**) में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	कियान्वयन का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।
2	**प्रस्ताव संख्या 2 – नियंत्रक वित्त का पदनाम बदल कर वित्त नियंत्रक करवाया जाना :–** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में पूर्व में वित्त विभाग द्वारा वित्त नियंत्रक का पद राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में था। वित्त विभाग द्वारा उक्त पद को राजस्थान लेखा सेवा की चयन वेतन श्रंखला में Upgrade कर दिया गया है एवं भारत सरकार द्वारा उक्त पद का पदनाम वित्त नियन्त्रक कर दिया गया है अतः BF&AR में उक्त पदनाम वित्त नियन्त्रक किया जाना तथा वित्त विभाग को भी पदनाम वित्त नियन्त्रक करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाने हेतु अनुमोदन प्रस्तावित है।	राजस्थान लेखा सेवा की केडर स्ट्रेंथ में मुख्य लेखाधिकारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का पदनाम परिवर्तन कर वित्त नियंत्रक करने हेतु पत्रावली पर प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे।
3	**प्रस्ताव संख्या 3 – परिषद् के अन्तर्गत आंतरिक अंकेक्षण दल का गठन–** मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Manual on financial Management and procurement (FM&P) के अनुच्छेद 6.9.2 में In-house आन्तरिक अंकेक्षण की प्रणाली विकसित करने हेतु निर्देश दिए गए है। वर्तमान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कोई आन्तरिक अंकेक्षण दल नहीं है। अतः भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अंकेक्षण दल का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आन्तरिक अंकेक्षण दल द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय तथा प्रत्येक जिले के 5 प्रतिशत विद्यालयों का प्रतिवर्ष अंकेक्षण किया जावेगा। मेन्युअल के अनुच्छेद 5.33.1 में आन्तरिक अंकेक्षण दल हेतु staffing pattern निम्नानुसार दर्शाया गया है :– Audit officer 1 — Deputation Auditor 2	आंतरिक अंकेक्षण हेतु सेवानिवृत लेखाकार्मिकों को ऑडिट सलाहकार लगाये जाने का अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	आन्तरिक अंकेक्षण दल हेतु 1 ऑडिट ऑफिसर तथा 2 ऑडिटर के पद की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त पदों में से Audit officer पर राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सेवानिवृत लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी को एवं Auditor पर सेवानिवृत लेखाकार के नियोजित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रस्तावित है।	
4	<u>प्रस्ताव संख्या 4– परिषद् के अन्तर्गत क्रय/आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करना</u> i. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के BF&AR Part II के नियम 14 के अनुसार राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में क्रय एवं मूल्यांकन समिति के गठन का प्रावधान है **(परिशिष्ट–2)**। परिषद् के आदेश क्रमांकः रामाशि/जय/Office Arrangement/2054 दिनांक 11.03.14 द्वारा राशि रू० 10 लाख से कम के क्रय हेतु मूल्याकन समिति अतिरिक्त परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित की गयी है **(परिशिष्ट–3)** तथा राशि रू० 10 लाख से ऊपर के क्रय हेतु निदेशक की अध्यक्षता में क्रय समिति का गठन किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के BF&AR के नियम 29 के अनुसार वित्त नियंत्रक Head of procurement wing है। **(परिशिष्ट–4)** सर्व शिक्षा अभियान की BF&AR के नियम 17 के अनुसार मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है **(परिशिष्ट–5)** जिससे नियंत्रक वित्त सहित चार सदस्य हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की BF&AR के पार्ट II नियम 14 के अनुसार मूल्याकंन समिति का अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक को बनाया गया है। वर्तमान में राज्य परियोजना निदेशक का पदनाम आयुक्त, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया है एवं शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा के पास आयुक्त, रामाशिप का भी अतिरिक्त दायित्व है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के समान ही BF&AR (RMSA) के पार्ट II के नियम 14 में परियोजना निदेशक के स्थान पर वित्त नियत्रंक को 10 लाख से कम या अधिक सभी प्रकार की खरीद के लिए मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष बनाया जाना प्रस्तावित है। यहां यह भी उल्लेख है कि BF&AR (RMSA) के नियम 29 (A) (11) **(परिशिष्ट–6)** के अनुसार वित्त नियंत्रक Head of procurement wing है। ii. उक्तानुसार मूल्यांकन समिति के गठन को सर्व शिक्षा अभियान के अनुरूप करने हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के BF&AR Part II के नियम 14 में संशोधन किया जाकर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा मॉडल स्कूल से सम्बन्धित सभी प्रकार की कय प्रक्रियाओं हेतु नियंत्रक-वित्त की अध्यक्षता में मूल्यांकन/कय समिति का	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्तानुसार नियमों में संशोधन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
5	<u>प्रस्ताव संख्या 5– वित्तिय शक्तियों का पुनःनिर्धारण</u> राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की BF&AR के नियम 16 के अनुसार वित्त नियन्त्रक को रू० 25000/– तक के चैक (Single signature) की शक्तियाँ प्रदत्त है **(परिशिष्ट–7)**। जबकि Manual on financial management & procurement (FM&P) के अनुच्छेद 4.3.1 में Joint signatory saving Bank Account होने का वर्णन किया गया है। अतः मुख्यालय पर भुगतान/राशि हस्तानान्तरण हेतु चैक जारी करने की व्यवस्था में संयुक्त हस्ताक्षर से चैक जारी करने हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :– 1. रू० 50000/– तक – उपनिदेशक, (प्रशासन) एवं लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से 2. रू० 50001 से 2 लाख – वित्त नियन्त्रक व अतिरिक्त निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से 3. रू० 2 लाख से ऊपर – वित्त नियन्त्रक व आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
6	<u>**प्रस्ताव संख्या 6– किराये पर लिये गये वाहनों की दरों एवं निर्धारित चलन सीमा का निर्धारण एवं नवीन वाहन क्रय के संबंध में**</u> i. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 10.02.2012 द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु शहरी क्षेत्र में वाहन की 1500 किमी. सीमा तय की गई है। सीमित वाहन होने के कारण वित्त विभाग की निर्धारित सीमा से वाहन अधिक किमी. चल जाते है। वित्त विभाग के उक्त आदेश के अनुसार "Incase, a vehicle is required to pay more than the above prescribed ceiling of kms the concerned administrative department shall be competant to regularise up to 500 km per month and 1500 kms in a financial year" **(परिशिष्ट–8)** उक्त सीमा में 500 किमी. अधिक तक के प्रचलन की सीमा तक के नियमितिकरण हेतु आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। ii. परिषद् कार्यालय में वर्ष 2012–13 में खुली निविदा द्वारा दैनिक उपयोग हेतु वाहन तथा जिलों के निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने हेतु दर संविदा की गई थी। शहर में परिचालन हेतु प्राप्त दरें वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक प्राप्त हुई। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर वाहन उपलब्ध नही होने पर निविदित दरों पर ही वाहन लिए गए थे। इस संबंध में ऑडिट द्वारा आक्षेप लिया गया है। अतः निविदित दरों का नियमन किया जाना प्रस्तावित है। (निविदा स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न **परिशिष्ट–9**) iii. परिषद् कार्यालय में परिषद् का कोई स्थायी वाहन नही है। आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक तथा अतिरिक्त परियोजना निदेशक को भी अनुबन्धित वाहनों का उपयोग करना पड़ता है। अतः दो वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। iv. प्रमुख शासन सचिव एवं अध्यक्ष निष्पादक समिति,	प्रस्ताव संख्या 6 (i) का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव संख्या 6 (ii) का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव संख्या 6 (iii) के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही क्रय कार्यवाही की जावे। प्रस्ताव संख्या 6 (iv) का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव संख्या 6 (v) का अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिनांक 02.07.2014 से अनुबन्धित दरों पर एवं मासिक आधार पर वाहन उपलब्ध करवाया गया जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति एवं भविष्य में भी अध्यक्ष, निष्पादक समिति, रामाशिप द्वारा अनुबन्धित दरों पर वाहन का उपयोग किए जाने हेतु पूर्व में स्वीकृत वाहने के अलावा एक अतिरिक्त वाहन की स्वीकृति प्रस्तावित है। v. राज्य कार्यालय में कार्यरत 11 अधिकारियों को सचिवालय व अन्य राजकीय कार्यालयों में जाने हेतु मात्र एक वाहन ही उपलब्ध है, इन अधिकारियों के लिये एक अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता है। राज्य कार्यालय में संयुक्त निदेशक के दो पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के स्वीकृत करवाये जा रहे हैं। जिनके लिये अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता होगी। अतः राज्य कार्यालय हेतु पूर्व में स्वीकृत पांच वाहनों के अलावा चार अतिरिक्त वाहन मासिक आधार पर किराये पर लिये जाने की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है।	
7	**प्रस्ताव संख्या 7 – वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना** मै० जैठानी एण्ड एसोसियेट द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की Statutory Audit वर्ष 2013–14 की पूर्ण कर ली गई है। उक्त ऑडिट रिपोर्ट निष्पादक समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है **(परिशिष्ट–10)**।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
8	**प्रस्ताव संख्या 8 – भारत सरकार द्वारा जारी Financial management and procurement for RMSA के प्रावधानों के प्रत्यायोजन के संदर्भ में संशोधनों का अनुमोदन :–** इस बाबत दिनांक 15.03.2013 को आयोजित निष्पादक समिति की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार प्रकरण में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु जारी Manual on Financial Management and procurement (MFMP) को राज्य सरकार के GF&AR एवं Rajasthan Transparency in public procurement Atc के प्रावधानों के संदर्भ में परीक्षण करने हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया गया जिस पर वित्त विभाग ने निम्न टिप्पणी प्रेषित की है :– "प्रशासनिक विभाग को परामर्श दिया जाता है कि वे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा परिषद के बोर्ड में परिषद की आवश्यकता का आकलन व भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर पर अनुमोदन करावें" अतः वित्त विभाग की उक्त टिप्पणी राय के अनुसार प्रस्तुत संशोधन पर निष्पादक समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है। उक्त निर्णय के संदर्भ में राज्य सरकार की सामान्य वित्तीय एंव लेखानियम वं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी मेन्यूवल के अनुसार प्रोक्योरमेन्ट के संदर्भ में व्ययों की वित्तीय सीमा का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन पारदर्शिता एक्ट की अनुपालना करते हुए किया गया:–

S.No	Procurement Type	Financial Limit according to raj. Transparency in public procurement act.	financial limit according to MFMP of RMSA
1	2	3	4
1	No tender or direct	एक समय में 10 हजार तक व वित्तीय वर्ष में 1.00 लाख तक की सीमा में सरकारी विभाग/ निगम/ प्राधिकृत व्यवहारियों/ सरकारी स्टोर्स/ भंडार से क्रय	Up to 15000 (Cert. to be Furnished as per rule under 145 of GFR 2005)
2	Three member committee	लागत एक अवसर पर 50 अजार रू. से कम तथा एक वित्तीय वर्ष में 3 लाख की सीमा तक (वाछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)	Above 15000 and upt to 1.00 lack (Cert. to be Furnished as per rule under 145 of GFR 2005)
3	Limited tender	एक समय में लागत 2.00 लाख से कम किंतु एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख की सीमा तक	Above Rs. 1.00 lack and up to Rs. 10.00 lacs
4	Open tender	10.00 लाख रू. से अधिक	Above Rs. 10.00 lacs and below Rs. 50.00 lacs
5	Open tender using e-procurement process for civil works	50.00 लाख रू. से अधिक	Rs. 50.00 lacs or above

S.No	Procurement Type	Financial Limit according to raj. Transparency in public procurement act.	financial limit according to MFMP of RMSA	Approval in EC
1	2	3	4	5
1	No tender or direct	एक समय में 10 हजार तक व वित्तीय वर्ष में 1.00 लाख तक की सीमा में सरकारी विभाग/ निगम/ प्राधिकृत व्यवहारियों/ सरकारी स्टोर्स/ भंडार से क्रय	Up to 15000 (Cert. to be Furnished as per rule under 145 of GFR 2005)	राज. पारदर्शिता एक्ट के अनुसार वित्तीय सीमा का अनुमोदन ।
2	Three member committee	लागत एक अवसर पर 50 अजार रू. से कम तथा एक वित्तीय वर्ष में 3 लाख की सीमा तक (वाछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)	Above 15000 and upt to 1.00 lack (Cert. to be Furnished as per rule under 145 of GFR 2005)	राज. पारदर्शिता एक्ट के अनुसार वित्तीय सीमा का अनुमोदन ।
3	Limited tender	एक समय में लागत 2.00 लाख से कम किंतु एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख की सीमा तक	Above Rs. 1.00 lack and up to Rs. 10.00 lacs	भारत सरकार के MFMP के अनुसार वित्तीय सीमा का अनुमोदन। इससे पारदर्शिता एक्ट की पालना होती है।
4	Open tender	10.00 लाख रू. से अधिक	Above Rs. 10.00 lacs and below Rs. 50.00 lacs	भारत सरकार के MFMP के अनुसार वित्तीय सीमा का अनुमोदन। इससे पारदर्शिता एक्ट की पालना होती है।
5	Open tender using e-procurement process for civil works	50.00 लाख रू. से अधिक	Rs. 50.00 lacs or above	भारत सरकार के MFMP के अनुसार वित्तीय सीमा का अनुमोदन। क्योंकि दोनों की सीमा समान है।

क्र. सं.	प्रस्ताव				निर्णय			
			विभाग/ निगम/ प्राधिकृत व्यवहारियों/ सरकारी स्टोर्स/ भंडार से क्रय	rule under 145 of GFR 2005)		Goods services			
	2	Three member committee	लगत एक अवसर पर 50 अजार रू. से कम तथा एक वित्तीय वर्ष में 3 लाख की सीमा तक (वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)	Above 15000 and upt to 1.00 lack (Cert. to be Furnished as per rule under 145 of GFR 2005)		6	Service Contracts (A). Direct contracting)With three quotations)	एक मुश्त 2.00 लाख से कम एवं वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख की सीमा तक	up to Rs. 1.00 lacs	भारत सरकार के MFMP के अनुसार वित्तीय सीमा का अनुमोदन। इससे पारदर्शिता एक्ट की पालना होती है।
	3	Limited tender	एक समय में लागत 2.00 लाख से कम किंतु एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख की सीमा तक	Above Rs. 1.00 lack and up to Rs. 10.00 lacs			(B)- Limited tender	एक मुश्त 2.00 लाख से कम एवं वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख की सीमा तक	Above Rs. 1.00 lacs &up to Rs. 10.00 lacs	भारत सरकार के MFMP के अनुसार वित्तीय सीमा का अनुमोदन। इससे पारदर्शिता एक्ट की पालना होती है।
	4	Open tender	10.00 लाख रू. से अधिक	Above Rs. 10.00 lacs and below Rs. 50.00 lacs			(C)- Open tender	10.00 लाख रू. से अधिक	Above Rs. 10.00 lacs	भारत सरकार के MFMP के अनुसार वित्तीय सीमा का अनुमोदन। क्योंकि दोनों की सीमा समान है।
	5	Open tender using e-procurement process for civil works. Goods services	50.00 लाख रू. से अधिक	Rs. 50.00 lacs or above						
	6	Service Contracts (A). Direct contracting)With three quotations)	एक मुश्त 2.00 लाख से कम एवं वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख की सीमा तक	up to Rs. 1.00 lacs						
		(B)- Limited tender	एक मुश्त 2.00 लाख से कम एवं वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख की सीमा तक	Above Rs. 1.00 lacs &up to Rs. 10.00 lacs						
		(C)- Open tender	10.00 लाख रू. से अधिक	Above Rs. 10.00 lacs						

यहां उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी Manual on Financial Management and procurement के अनुच्छेद 1.2.7 के अनुसार यह Manual , RMSA से सम्बन्धित गतिविधियों पर लागू किया जाना Mandatory किया गया है। यह Manual भारत सरकार के सामान्य वित्तीय/लेखा नियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित किया गया है।

उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 4 में MFMP of RMSA के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तावित वित्तीय शक्तियां, कॉलम संख्या 3 में अंकित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दी गई शक्तियों को किसी भी प्रकार से अतिक्रमित नहीं करती। अतः कॉलम संख्या 4 में अंकित वित्तीय शक्तियों के अनुरूप RMSA के BF&AR में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र सं.	प्रस्ताव	निर्णय
9	**प्रस्ताव संख्या 9 – परिषद के राज्य कार्यालय में स्वीकृत संयुक्त निदेशक (उपनिदेशक, शिक्षा विभाग समकक्ष) के पदनाम का परिवर्तन कर दो रिक्त पदों के विरूद्ध राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन का अनुमोदन :–** शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प. 17(14) शिक्षा––1/2008 जयपुर दिनांक 31/08/09 द्वारा प्राप्त प्रदत्त स्वीकृति में राज्य कार्यालय में उपनिदेशक, शिक्षा के दो पद स्वीकृत है **(परिशिष्ट–11)**। दिनांक 18.01.2012 को आयोजित परिषद की निष्पादक समिति की 10वीं बैठक में पारित निर्णय के अनुसरण में आदेश दिनांक 24.02.2012 द्वारा उक्त पदों का नाम संयुक्त निदेशक के रूप में संशोधित किया गया **(परिशिष्ट–12)**। शिक्षा विभाग में उपनिदेशक स्तर के अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा उक्त दोनों पदों पर अधिकारियों का पदस्थापन नहीं हो सका है, जिसके कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः रामाशिप. की विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु परिषद के राज्य कार्यालय में स्वीकृत संयुक्त निदेशक (उपनिदेशक, शिक्षा विभाग समकक्ष) के दो रिक्त पदों के विरूद्ध राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ/वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों के पदस्थापन हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ/वरिष्ठ वेतनश्रृंखला के अधिकारियों का वेतनमान उपनिदेशक, शिक्षा विभाग के पदों के वेतनमान से कम है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
10	**प्रस्ताव संख्या 10 – परिषद में सहायक लेखाधिकारी के पद को लेखाधिकारी के पद पर अपग्रेड कराया जाना :–** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी कार्यरत है। उक्त पद पर पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी 5400/– ग्रेड–पे प्राप्त कर रहे है। परियोजना में कार्य की अधिकता, आन्तरिक अंकेक्षण इत्यादि कार्य में अभिवृद्धि होने के कारण सहायक लेखाधिकारी के पद को लेखाधिकारी के पद पर अपग्रेड करवाया जाना प्रस्तावित है। सहायक लेखाधिकारी के स्थान पर लेखाधिकारी का पदस्थापन लिये जाने पर अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि लेखाधिकारी की ग्रेड–पे भी रू. 5400/– ही है। अतः सहायक लेखाधिकारी के पद को लेखाधिकारी के पद पर अपग्रेड करवाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव पर लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण पत्रावली पर प्रस्तुत कर वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे।
11	**प्रस्ताव संख्या–11 : परिषद मुख्यालय पर 2 कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पदों को कमोन्नत कर सहायक अभियन्ता का करना।** परिषद द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूल योजनान्तर्गत के निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। इन योजनाओं में 1686.24 करोड़ रू. के कार्य स्वीकृत है। इन कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु राज्य मुख्यालय के दो कनिष्ठ अभियंता के स्वीकृत पदों को सहायक	इस हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गई है जिस पर वित्त विभाग के निर्णय के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावे।

क्र सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	अभियन्ता के पदों पर क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।	
12	**प्रस्ताव संख्या 12 – परिषद् के कार्मिकों के इलाज हेतु चिकित्सालयों को अधिकृत करना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में प्रतिनियुक्त कार्मिकों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्नांकित निजी चिकित्सालयों को पुनर्भरण हेतु अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव में क्रम संख्या 19 पर अंकित चिकित्सालय संतोकबा दुलर्भजी मेमोरियल हॉस्पिटल, जयपुर के अतिरिक्त अन्य चिकित्सालयों को पुर्नभरण हेतु अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

क्र० सं०	चिकित्सालय का नाम
1	एस.के. सोनी हॉस्पिटल, जयपुर
2	भण्डारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जयपुर
3	फोर्टिस एस्कोर्ट्स हॉस्पिटल, जयपुर
4	महात्मा गाँधी चिकित्सालय, जयपुर
5	साकेत हॉस्पिटल, जयपुर
6	टैगोर हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
7	अपेक्स हॉस्पिटल, जयपुर
8	जयपुर हॉस्पिटल, जयपुर
9	नारायण हृदयालय हॉस्पिटल, जयपुर
10	ग्लोबल हार्ट एण्ड जनरल हॉस्पिटल, जयपुर
11	जयपुर हार्ट संस्थान, जयपुर
12	जैन ई.एन.टी. हॉस्पिटल, जयपुर
13	एस.आर.कल्ला गैस्ट्रो एण्ड जनरल हॉस्पिटल, जयपुर
14	इण्डोवेस्टर्न ब्रेन एवं स्पाइन हॉस्पिटल, जयपुर
15	भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल, जयपुर
16	आनन्द आई हॉस्पिटल, जयपुर
17	के.सी. मेमोरियल आई हॉस्पिटल, जयपुर
18	डॉ० वीरेन्द्र लेजर एण्ड फैकों सरजरी सेन्टर, जयपुर
19	संतोकबा दुलर्भजी मेमोरियल हॉस्पिटल, जयपुर
20	मोनीलेक हॉस्पिटल जवाहर नगर, जयपुर
21	टोंग्या हॉस्पिटल, जयपुर
22	एन.के.डेंटल हॉस्पिटल, लाल कोठी, जयपुर
23	गोपीनाथ हॉस्पिटल, प्रतापनगर, जयपुर
24	ई.एच.सी.सी. जवाहर सर्किल जयपुर

उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सा कराने पर बिलों का पुर्नभरण राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद में किये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
(प्रति संलग्न परिशिष्ट–14)

13	**प्रस्ताव संख्या 13 : शारदे बालिका छात्रावास बाडी, धौलपुर के स्थान परिवर्तन का अनुमोदन किया जाना :–** निष्पादक समिति की गत बैठक दिनांक 06.02.2014 में बालिका छात्रावास से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 06 पर हुए निर्णयानुसार शारदे बालिका छात्रावास, बाड़ी धौलपुर का भवन कस्तूरबा गांधी आवसीय विद्यालय हांसई, बाड़ी, धौलपुर के परिसर में बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। जबकि उक्त छात्रावास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर के निकट उपलब्ध भूमि पर बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जानी थी। अतः बालिका छात्रावास, बाड़ी को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर के बजाय परिसर के निकट उपलब्ध भूमि पर बनाये जाने की संशोधित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र सं.	प्रस्ताव	निर्णय
14	**प्रस्ताव संख्या 14 – शारदे बालिका छात्रावास योजना में वार्डन रहित छात्रावासों में सेवा प्रदाता एजेन्सी से ली जाने वाली सहायक वार्डन सेवाओं के मानदेय में वृद्धि किया जाना।** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित वार्डन रहित शारदे बालिका छात्रावासों में सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से सहायक वार्डन की सेवाएं ली जाती है। वर्तमान में इन सेवाओं हेतु रू. 4000/– मासिक मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वार्षिक योजना 2014–15 में छात्रावास के चौकीदार एवं हैड कुक सेवाओं के मानदेय में वृद्धि करते हुए इसे रू. 3000/– प्रतिमाह से बढाकर रू. 5000/– प्रतिमाह कर दिया गया है। वार्डन सहायिका सेवा का कार्यभार एवं दायित्व चौकीदार एवं हैडकुक की अपेक्षा अधिक होता है तथा छात्रावास की प्रशासनिक संरचना के अनुसार सहायक वार्डन, चौकीदार एवं हैडकुक सेवा के कार्यो के नियंत्रण का कार्य करती है। अतः अधिक दायित्व वाले कार्मिक को कम मानदेय दिया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। इसे देखते हुए वार्डन रहित छात्रावासों में ली जा रही सहायक वार्डन को रू. 5000/– मासिक दिया जाना प्रस्तावित है। इस मानदेय पर सेवाशुल्क एवं सेवाकर की राशि का भुगतान MMER मद से पृथक से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
15	**प्रस्ताव संख्या 15 – शारदे बालिका छात्रावास भैंसरोडगढ, चित्तौडगढ का स्थान परिवर्तन किया जाना।** शारदे बालिका छात्रावास भैंसरोडगढ, (चित्तौडगढ) हेतु पूर्व में आवंटित भूमि के भैंसरोडगढ राष्ट्रीय अभयारण्य क्षेत्र में आने से ब्लॉक मुख्यालय के 25 कि.मी. परिधि क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गई है। अभयारण्य क्षेत्र से बाहर स्थित राउमावि बोराव (चित्तौडगढ) में छात्रावास हेतु भूमि उपलब्ध है। अतः शारदे बालिका छात्रावास भैंसरोडगढ, चित्तौडगढ का स्थान परिवर्तित कर इसे राउमावि बोराव चित्तौडगढ परिसर में बनाया जाना प्रस्तावित है **(परिशिष्ट–15)**। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र सं.	प्रस्ताव	निर्णय
16	प्रस्ताव संख्या 16 : सिविल विंग की शिड्यूल ऑफ पॉवर में किये जाने वाले आंशिक संशोधन का अनुमोदन किया जाना।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

Schedule of Power (section-II, Part- III of BF & AR of RCSE) for Engineering wing Issued on dated 27-06-2013 S.No. 15 **Sanctioning of Extra Item** **AEn (Field)** Full powers upto works costing Rs. 30.00 lacs. **Senior most Engineer of RCSE** Full Power	Schedule of Power (section-II, Part- III of BF & AR of RCSE) for Engineering wing Issued on dated 27-06-2013 S.No. 15 **Sanctioning of Extra Item** **AEn (Field)** Upto 1% of work order amount for works Costing upto Rs. 30.00 Lacs. **Executive Engineer** Upto 5% of work order amount for works costing upto Rs. 40.00 lacs. **Senior most Engineer of RCSE** Full Power
S.No. 16 **Sanctioning of deviation statement** **AEn (Field)** Full powers upto works costing Rs. 30.00 lacs. **Senior most Engineer of RCSE** Full Power	S.No. 16 **Sanctioning of deviation statement** **AEn (Field)** Full powers upto works costing Rs. 30.00 lacs. (Restricted for quantity of individual item may not exceed/reduced 5% of original quantity). **Executive Engineer** Upto 10% of work order amount upto works costing Rs. 40.00 lacs. **Senior most Engineer of RCSE** Full Power

<table>
<tr><th>क्र सं.</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td>17</td><td><u>प्रस्ताव संख्या 17 : समान पी.ए.बी. वर्ष की समान स्कीम की बचत राशि को व्यय किए जाने की स्वीकृति का अनुमोदन।</u>

<table>
<tr><th>अनुमोदित</th><th>प्रस्तावित संशोधन</th></tr>
<tr><td>1. राज्य स्तरीय बैठक दिनांक 10/01/2014 में जिला अधिकारियों द्वारा बतायी गई समस्याओं के आधार पर निर्णय किया गया कि विभिन्न जिलों में आर.एम.एस.ए. (2010–11) के कुछ कार्य अधिक टेण्डर प्रीमियम के होने के कारण निर्धारित इकाई लागत में पूर्ण नहीं हो पा रहे है अतः उसी जिले में समान वित्तीय वर्ष की समान स्कीम में यदि कार्यो में बचत राशि उपलब्ध हो तो उस राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष एवं स्कीम के अधुरे कार्यो को पूर्ण करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 3713 दिनांक 20/01/2014 की प्रति संलग्न है।</td><td>1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्र्गत विभिन्न पी.ए.बी में स्वीकृत नवीन/सुदृढीकरण के कार्य अधिक टेण्डर प्रीमियम होने के कारण निर्धारित इकाई लागत में कुछ विद्यालयों में पूर्ण नहीं हो पा रहे है, उन कार्यो हेतु समान पी.ए.बी. वर्ष की समान स्कीम में यदि अन्य विद्यालयों के कार्यो में बचत राशि उपलब्ध हो तो उस राशि की स्वीकृति उसी पी.ए.बी. वर्ष एवं समान स्कीम के अधुरे अन्य विद्यालयों के कार्यों को पूर्ण करने हेतु जारी की जा सकती है। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td></tr>
</table>

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विभिन्न पी.ए.बी में विद्यालय सुदृढीकरण/नवीन के स्वीकृत निर्माण कार्य अधिक टेण्डर प्रीमियम आने के कारण निर्धारित इकाई लागत में पूर्ण नहीं हो पा रहे है, उन कार्यो हेतु समान पी.ए.बी. वर्ष की समान स्कीम में यदि अन्य निर्माण कार्यो में बचत राशि उपलब्ध हो तो उस राशि की स्वीकृति उसी पी.ए.बी. वर्ष एवं समान स्कीम के अधूरे निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु जारी की जा सकती है। इस बाबत प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td><td>अन्तर जिला Reappropriation की अनुमति प्रदान नही करते हुये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td></tr>
<tr><td>18</td><td><u>प्रस्ताव संख्या 18 – सिविल कार्यो के अन्तर्गत अभियांत्रिकी शाखा हेतु आरक्षित आकस्मिक व्यय मद (Contingency) में 3 प्रतिशत एवं क्वालिटी कन्ट्रोल मद की 1 प्रतिशत राशि से सेवा प्रदाता एजेन्सी से 15,000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय व 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्वि पर एम.आई.एस. कन्सलटेंट लिया जाना ।</u>

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत चल रही बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चल रहे सिविल कार्यो की मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन, क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु 3 प्रतिशत राशि आकस्मिक व्यय में तथा 1 प्रतिशत राशि क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु निष्पादक समिति की 9वीं बैठक में आरक्षित की गई है। इस राशि को अन्य कार्यो</td><td>प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	के अलावा राज्य मुख्यालय पर अभियांत्रिकी शाखा हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी से रूपये 15,000/– प्रतिमाह मानदेय व 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर एम.आई.एस. कन्सलटेंट रखा जाना प्रस्तावित है। **एम.आई.एस. कन्सलटेंट के लिए वांछित अहर्ताए निम्नानुसार प्रस्तावित है :–** प्रार्थी को एम.आई.एस. कार्यो का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, एक वर्षीय डी.पी.सी.एस. कम्प्यूटर डिप्लोमा हों, एम.एस. ऑफिस का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो तथा इन्टरनेट का अनुभव हो। उक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
19	**प्रस्ताव संख्या 19: आई.सी.टी. प्रकोष्ठ एवं आई.ई.डी. एस.एस. प्रकोष्ठ का स्थानान्तरण :–** (1)– भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आई.सी.टी. एवं आई.ई.डी.एस.एस. प्रकोष्ठ की स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में की जानी है। राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त योजनाएं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर को स्थानान्तरित कर दी गई है। अतः माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में आई.सी.टी. योजना के संचालन हेतु स्वीकृत निम्न पदों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में स्थान्तरित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रस्तावित है :–	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	नाम पद	योग्यता	संख्या
1.	उपनिदेशक	प्रधानाचार्य, राउमावि, समकक्ष अधिकारी	1
2.	सहायक निदेशक	व्याख्याता, राउमावि. /प्रधानाध्यापक, रामावि., समकक्ष अधिकारी	2
3.	वरिष्ठ लिपिक	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	1
4.	लिपिक	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	2
5.	एम.आई.एस. प्रभारी (आई.सी.टी./आई.ई. डी.एस.एस. प्रकोष्ठ हेतु)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	1
6.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	1
7.	सहायक सेवा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	1

उक्त प्रकोष्ठ हेतु राज्य सरकार के आदेश कमांकः प.4(4) शिक्षा–1/ 2011 जयपुर दिनांक 20.12.2011 द्वारा स्वीकृति के अनुरूप 1 लेपटॉप कम्प्यूटर, 4 डेस्कटॉप कम्प्यूटर विद वेबकेम,

क्र सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	4 प्रिन्टर (4 इन 1), 1 लैण्डलाईन टेलीफोन कनेक्शन एवं अनुबन्ध पर वाहन व्यवस्था के प्रस्ताव भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है **(परिशिष्ट–16)**। (2)– राज्य सरकार के उक्त आदेशों के तहत आई.ई.डी.एस.एस. प्रकोष्ठ हेतु स्वीकृत पदों का स्थानान्तरण भी निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से रामाशिप, जयपुर में किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
20	**प्रस्ताव संख्या 20 : व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना :–** भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर में की जानी है। व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ के लिए निम्नलिखित पदों का सृजन किये जाने हेतु अनुमोदन प्रस्तावित है :–	प्रस्ताव को Withdraw किया गया।

क्र. सं.	नाम पद	योग्यता	संख्या
1.	सहायक निदेशक	व्याख्याता, राउमावि. / प्रधानाध्यापक, रामावि., समकक्ष अधिकारी	1
2.	लिपिक	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	1
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	1
4.	सहायक सेवा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	2

21	**प्रस्ताव–21 : परिषद के राज्य कार्यालय में सफाई कर्मी एवं सुरक्षाकर्मी सेवाऐं लिये जाने हेतु :–** दिनांक 31/08/09 द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय कार्यालय की स्थापना करके विभिन्न पदों की स्वीकृति प्रदान की गई **(परिशिष्ट–11)**। इनमें सफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी की सेवाऐं स्वीकृत नहीं है। परिषद के राज्य कार्यालय में संविदा आधार पर एक यूनिट सफाई कर्मी सेवा तथा दो यूनिट सुरक्षाकर्मी सेवा की आवश्यकता है। उक्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार संविदा पर सेवा प्रदाता एजेन्सी से एक यूनिट सफाई कार्य सेवा तथा दो यूनिट सुरक्षाकर्मी सेवा लिया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षाकर्मी सेवा हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर होमगार्ड की सेवाएं भी ली जा सकेगी।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

<table>
<tr><th>क्र सं.</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td>22</td><td><u>प्रस्ताव संख्या–22 : 16 ब्लॉक्स में मॉडल स्कूलों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का अनुमोदन :–</u>
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित मॉडल स्कूल योजना में 186 ब्लॉक्स में से 160 ब्लॉक्स पीएबी द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष 26 ब्लॉक्स में से 16 ब्लॉक्स में भूआवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है जिनके प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है अतः उक्त 16 मॉडल स्कूल ब्लॉक्स की सूची निष्पादक समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>ब्लॉक</th><th>आवंटित स्थल</th><th>क्र.स.</th><th>ब्लॉक</th><th>आवंटित स्थल</th></tr>
<tr><td>1</td><td>केकडी (अजमेर)</td><td>सेवर</td><td>9</td><td>सांचौर (जालौर)</td><td>मौजा पालडी सोलंकीयान</td></tr>
<tr><td>2</td><td>किशनगढ़ (अजमेर)</td><td>बान्दरसिन्दरी</td><td>10</td><td>बाडी (धौलपुर)</td><td>रानपुर</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कोलायत (बीकानेर)</td><td>झझू</td><td>11</td><td>बस्सी (जयपुर)</td><td>रोहिताशपुरा</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पीपलखुंट (प्रतापगढ़)</td><td>रैला</td><td>12</td><td>जमवारामगढ (जयपुर)</td><td>जमवारामगढ़–खसरा न. 543</td></tr>
<tr><td>5</td><td>गिर्वा (उदयपुर)</td><td>नई</td><td>13</td><td>नौखा (बीकानेर)</td><td>भामटसर</td></tr>
<tr><td>6</td><td>भिण्डर (उदयपुर)</td><td>हिन्ता की गडरियावास</td><td>14</td><td>गौगुन्दा (उदयपुर)</td><td>चित्रावास</td></tr>
<tr><td>7</td><td>मकराना (नागौर)</td><td>मौजा बोरावड</td><td>15</td><td>कामां (भरतपुर)</td><td>नन्देरा</td></tr>
<tr><td>8</td><td>अहौर (जालौर)</td><td>मौजा भाद्राजून</td><td>16</td><td>बायतू (बाडमेर)</td><td>ब्लॉक मुख्यालय पर ग्राम जोगासर</td></tr>
</table></td><td>समस्त 26 ब्लॉक्स की भूमि आवंटन कार्यवाही पूर्णकर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जावें। इसके अतिरिक्त पूर्व में स्वीकृत 26 मॉडल स्कूलों के प्रस्ताव वर्तमान SSOR (BSR) दर के अनुसार भारत सरकार को स्वीकृति हेतु तत्काल प्रेषित किये जावें।</td></tr>
<tr><td>23</td><td><u>प्रस्ताव संख्या 23–: राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के अनुरूप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के राज्य व जिला कार्यालय में प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी के माध्यम से किराए पर ली जाने वाली कम्प्यूटर ऑपरेटर व सहायक सेवाओं के मासिक शुल्क में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि हेतु :–</u>

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के आदेश क्रमांक–4853 दि. 23.05.14 द्वारा "राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर की निष्पादक समिति की 20वीं बैठक दिनांक 01.03.2013 के एजेण्डा संख्या–7 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय एवं वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या–101301176 दिनांक 17.04.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में सर्व शिक्षा अभियान में प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी के माध्यम से राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों व के.जी.बी.वी. में कार्यरत कार्मिकों, जिनको 31.03.2014 को एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, के मानदेय में 01 अप्रैल, 2014 से 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है **(परिशिष्ट–17)** ।"
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की दिनांक 06.02.2014 को आयोजित 12वीं बैठक के प्रस्ताव</td><td>प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td></tr>
</table>

क्र सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	संख्या–7 के निर्णय की क्रियान्विति में रामाशिप. में ली जाने वाली विभिन्न सेवाओं के शुल्क में आदेश क्रमांक–5923 दि. 13.06.14 द्वारा निम्नलिखित अनुसार वृद्धि की गई है:–	

स्तर	पद का नाम	स्वीकृत पद	पुराना देय मासिक शुल्क	नवीन मासिक शुल्क
राज्य स्तर	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	12	6000/–	7500/–
	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सेवा	2	6000/–	7500/–
	सहायक/स्वीपर सेवा	10	4000/–	5000/–
जिला स्तर	कम्प्यूटर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सेवा	प्रति जिला –3	5000/–	6500/–
	सहायक/स्वीपर सेवा	प्रति जिला –3	4000/–	5000/–

उक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के प्रस्तावित मासिक शुल्क के अतिरिक्त कम्प्यूटर मशीन मय प्रिंटर का मासिक किराया 1500/– रु. प्रति कम्प्यूटर मशीन प्रति माह अतिरिक्त देय होगा। सेवा प्रभार एवं सेवा कर सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सकल मूल्य पर परिषद द्वारा देय होगा। उक्त वृद्धि 01 जनवरी, 2014 से लागू की गई।

चूंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उक्त वृद्धि में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है और राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा की गई प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि वित्त विभाग से अनुमोदित है, 10 प्रतिशत अभिवृद्धि किए जाने पर एक वर्ष में लगभग राशि रु. 1,86,000/– का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। अतः राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के अनुरूप ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के राज्य व जिला कार्यालय में प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी के माध्यम से किराए पर ली जाने वाली कम्प्यूटर ऑपरेटर व सहायक सेवाओं के मासिक शुल्क में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त शुल्क के अतिरिक्त सेवा प्रभार एवं सेवा कर सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सकल मूल्य पर परिषद द्वारा पृथक से देय होगा।

क्र सं.	प्रस्ताव	निर्णय
24	<u>प्रस्ताव संख्या 24 :–परिषद के जिला कार्यालय में स्वीकृत कार्यक्रम अधिकारी की निर्धारित पात्रता प्रधानाध्यापक/व्याख्याता में संशोधन कर वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) किए जाने हेतु :–</u> परिषद के जिला कार्यालयों में कार्यक्रम अधिकारी स्वीकृत तीनों पद रिक्त होने के कारण परिषद की गतिविधियों का प्रभावी निष्पादन नहीं हो पा रहा है, माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न नवाचार व प्लान प्रस्तुत नहीं किए जा रहे है। जिसके कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्य प्रभावित हो रहा है। रामाशिप. की विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं प्रभावी निष्पादन हेतु परिषद के जिला कार्यालयों में स्वीकृत कार्यक्रम अधिकारी की निर्धारित पात्रता प्रधानाध्यापक/व्याख्याता में संशोधन कर वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) किए जाने हेतु प्रकरण प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया, जिसके फलस्वरूप शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक–17(4)शिक्षा–1/2008 पार्ट II जयपुर दिनांक 25.11.14 द्वारा कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु पात्रता प्रधानाध्यापक/व्याख्याता के स्थान पर व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है **(परिशिष्ट–18)** । अतः जिला कार्यालय में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु पात्रता प्रधानाध्यापक/व्याख्याता के स्थान पर व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) किए जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
25	**<u>प्रस्ताव संख्या 25–: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति के सदस्य सचिव के पद पर अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक को मनोनीत करने हेतु :–</u>** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति के सदस्य सचिव के पद पर राज्य परियोजना निदेशक को मनोनीत किया गया है **(परिशिष्ट–19)**। चूंकि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक–प. 5(1)कार्मिक/क–1/2014 जयपुर दि. 28.10.2014 द्वारा राज्य परियोजना निदेशक के पद पर शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त को पदस्थापित किया गया है **(परिशिष्ट–20)**। शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त निष्पादक समिति के अध्यक्ष हैं, अतः निष्पादक समिति के सदस्य सचिव के पद पर अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक को मनोनीत किए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव को Withdraw किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
26	**पूरक प्रस्ताव संख्या 26:–परिषद के जिला कार्यालय में स्वीकृत कार्यक्रम अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ लिपिक के रिक्त पदों पर सम्बन्धित संवर्ग व पात्रता के सेवानिवृत कार्मिकों को लगाए जाने हेतु :–** परिषद के जिला कार्यालयों में स्वीकृत कार्यक्रम अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/लिपिक आदि पद रिक्त होने के कारण परिषद की गतिविधियों का प्रभावी निष्पादन नहीं हो पाता है तथा माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न नवाचार व प्लान प्रस्तुत नहीं किए जा रहे है। जिसके कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्य प्रभावित हो रहा है। रामाशिप. की विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं प्रभावी निष्पादन हेतु परिषद के जिला कार्यालयों में स्वीकृत उक्त पद रिक्त होने की स्थिति में सम्बन्धित संवर्ग के सेवानिवृत कार्मिकों को कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक–सं.एफ.17 (10) डीओपी/ए–II/94 जयपुर दिनांक 26 मई, 2014 **(परिशिष्ट–21)** के प्रावधान व शर्तों के अध्यधीन पूर्णतः अस्थायी आधार पर संविदा पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	संबंधित संवर्ग के कार्मिक की प्रतिनियुक्ति होने तक सेवानिवृत कार्मिकों/अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
27	**पूरक प्रस्ताव संख्या 27:–सनदी लेखाकार की नियुक्ति व वर्ष 2013–14 के अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन** भारत सरकार द्वारा जारी FM&P Manual के अनुच्छेद 7.1.4 के प्रावधानों के अन्तर्गत C&AG empanelled फर्मों से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की वर्ष 2013–14 की Statutory Audit Report हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। प्राप्त प्रस्तावों मै० जैठानी एण्ड एशोसियेटस् की न्यूनतम दरे प्राप्त हुई। मै० जैठानी एण्ड एशोसियेटस् को इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः रामाशिप/जय/लेखा/अंकेक्षण /2013–14/5869 दिनांक 09.06.2014 द्वारा फीस राशि रू 8.61 लाख वार्षिक + सेवा कर पर वर्ष 2013–14 की Statutory Audit Report करने हेतु नियुक्त किया गया **(परिशिष्ट–22)**। सी.ए. मै० जैठानी एण्ड एशोसियेटस् द्वारा वर्ष 2013–14 का अंकेक्षण कार्य सम्पन्न कर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 से 2012–13 की ऑडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र में पायी गई कमियों को दुरूस्त कर संशोधित ऑडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये। उक्त के क्रम में सनदी लेखाकार मै० जैठानी एण्ड एशोसियेटस् द्वारा निम्नानुसार फीस की मांग की गई :– (1) उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2009–10 से 2012–13 – राशि रू० 1,12,360/– (2) वर्ष 2009–10 से 2012–13 के लेखों में संशोधन –राशि रू० 50,000/– प्रति वर्ष + सर्विस टेक्स	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	उपरोक्तानुसार सनदी लेखाकार की नियुक्ति, वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखों तथा वर्ष 2009–10 से 2012–13 के संशोधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र व संशोधित ऑडिट रिपोर्ट की फीस का अनुमोदन निष्पादक समिति से करवाया जाना प्रस्तावित है।	

2/12/14

अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

निष्पादक समिति की 13वीं बैठक दिनांक 28.10.2014

शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का उपस्थिति पत्रक

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद
1	नरेश पाल गंगवार	**शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, एवं आयुक्त,** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
2	बी.एल. मीणा	**निदेशक,** माध्यमिक शिक्षा
		निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
3	निवेदिता मेहरू	**निदेशक** साक्षरता एवं सतत् शिक्षा
4	विश्वमोहन शर्मा	**प्रतिनिधि–प्रमुख शासन सचिव,** वित्त विभाग
5	श्याम लाल गुर्जर	**अति. राज्य परियोजना निदेशक,** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
6	एच. एम. मीणा	**प्रतिनिधि, आयुक्त,** राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्
7	डॉ. कमलीनी द्रेविड	**प्रतिनिधि, आयुक्त / निदेशक,** महिला अधिकारिता
8	शंकर लाल जांगिड	**प्रतिनिधि, सचिव,** राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
9	ललीत वर्मा	**प्रतिनिधि, सचिव,** राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल
10	बहादुर सिंह गुर्जर	**प्रतिनिधि, निदेशक,** संस्कृत शिक्षा
11	भवानी सिंह मीणा	**नियंत्रक (वित्त)** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
12	रिछपाल सिंह	**अधिशाषी अभियन्ता,** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
13	भूपसिंह यादव	उपनिदेशक
14	ममता दाधिच	उपनिदेशक
15	कैलाश गुप्ता	शैक्षिक अधिकारी
16	रचना शर्मा	उपनिदेशक
17	डॉ. बालेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक
18	के. सी. गुप्ता	सहायक निदेशक
19	गोविन्द राम शर्मा	सहायक निदेशक
20	वीर सिंह मीणा	सहायक निदेशक
21	दीपक भारद्वाज	सहायक निदेशक
22	विक्रम सिंह	सहायक निदेशक
23	संजय शर्मा	ई.एम.आई.एस
24	वी. के. गुप्ता	समन्वयक, शिक्षा विभाग